भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2742
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- जैविक खेती की समीक्षा

2742. श्री राजेश रंजनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक खेती संबंधी योजनाओं के अंतर्गत किये गये बजटीय आवंटन, वास्तविक व्यय और लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा क्या किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं और मुआवजा प्रदान किए बिना रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करते हुए जैविक खेती करने हेतु बाध्य किया जा रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जटिल, महंगी तथा लघु एवं सीमांत किसानों की पहुंच से वाहर है, जिसके कारण वे बड़े निगमों तथा बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है,

(ग) क्या जैविक उत्पादों के लिए कोई पृथक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अथवा सुनिश्चित खरीद तंत्र विद्यमान है और यदि नहीं, तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार द्वारा बिहार सहित कृषि की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण तथा विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्यवार बजट, व्यय और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

किसानों को समूहबद्ध प्रकार से प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक किसान 1 एकड़ भूमि पर खेती करता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत, एक किसान को 2 वर्षों तक (प्रति किसान अधिकतम 1 एकड़ भूमि पर) प्रति एकड़, प्रति वर्ष 4000/- रुपये का 'आउटपुट-बेस्ड इंसेंटिव' (उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन) देने का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन किसानों को प्राकृतिक खेती करने, अधिक किसानों को प्रशिक्षण देने, पशुधन के रखरखाव, प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने या बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर से इनपुट खरीदने आदि के लिए दिया जाता है।

सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है: जिनमें 'परंपरागत कृषि विकास योजना' है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र मूल्य श्रृंखला

विकास मिशन, जो पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित है। दोनों योजनाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।

सरकार ने छोटे किसानों को इन लाभों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जैविक प्रमाणन की पहल की है, जिससे कृषि प्रणालियों को अधिक सतत, समृद्ध और लाभदायक बनाया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) जैविक प्रमाणन कार्यान्वित किया जा रहा है। पीजीएस-इंडिया जैविक प्रमाणन प्रणाली एक सरलीकृत, प्रशिक्षण आधारित, कम लागत वाली और सहकर्मी-समीक्षित प्रमाणन प्रणाली है जो छोटे किसानों के लिए तैयार की गई है। पीजीएस पारदर्शिता, सहभागिता और ट्रेसबिलिटी क्षमता सुनिश्चित करता है और किसानों को समूह में बाजार से जुड़ने में सक्षम बनाता है। अब तक पीजीएस-इंडिया प्रमाणन कार्यक्रम के तहत 16.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्रमाणित किया जा चुका है, जिससे 24.14 लाख किसानों को लाभ हुआ है। अब तक पीजीएस-इंडिया के तहत जैविक खेती के लिए 500 से अधिक ब्रांड विकसित किए गए हैं, जिन्हें बाजार में अच्छी और स्थिर कीमतें मिल रही हैं। पीजीएस-इंडिया जैविक प्रमाणन कार्यक्रम के तहत विकसित प्रमुख ब्रांडों में प्योर एंड श्योर (बेंगलुरु), स्वदेशम ऑर्गेनिक्स (उत्तर प्रदेश), ऑर्गेनिक हिमाचल, ऑर्गेनिक झारखंड, केरल ऑर्गेनिक, सहज आहारम (हैदराबाद), तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आदिम ऑर्गेनिक (दंतेवाड़ा), ऑर्गेनिक उत्तराखंड, नमामि गंगा जैविक काशी आदि शामिल हैं।
जैविक उत्पादों के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का प्रबंधन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा निर्यात और बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्ष 2025-26 तक, 39.68 लाख हेक्टेयर भूमि को एनपीओपी जैविक प्रमाणन के तहत प्रमाणित किया गया है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रमुख ब्रांड एनपीओपी (नेशनल पब्लिक ऑप्शंस प्रोग्राम) प्रमाणन में मंत्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंडिया, नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स, मोरारका आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों ने अपने-अपने जैविक उत्पाद ब्रांड विकसित किए हैं, जिनमें ऑर्गेनिक अरुणाचल (अरुणाचल प्रदेश), ऑर्गेनिक मणिपुर (मणिपुर), मिशन ऑर्गेनिक मिजोरम (मिजोरम), नागा ऑर्गेनिक (नागालैंड), सिक्किम ऑर्गेनिक (सिक्किम), मेघा (मेघालय), त्रिपुरा ऑर्गेनिक (त्रिपुरा) और असोमा (असम) शामिल हैं, जिनका उपयोग उनके जैविक उत्पादों के विपणन के लिए किया जाता है।

सहकारिता मंत्रालय के तहत नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ज़रिए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 14,550 सहकारी समितियों को अपने सदस्य के तौर पर शामिल किया है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 28 से ज़्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें गेहूं का आटा, चावल, दलहन, गुड़, ब्राउन शुगर, खांडसारी चीनी, ड्राई फ्रूट्स, शहद, घी

और एप्पल साइडर विनेगर शामिल हैं। इन उत्पादों की मार्केटिंग रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नेटवर्क के ज़रिए की जाती है, जिनमें सफल (मदर डेयरी), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आउटलेट, अमेजन, जेपटो, स्वीगी इंस्टामार्ट, रिलायंस रिटेल, बिगबास्केट और अन्य चैनल शामिल हैं। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग के ज़रिए लगभग 40 करोड़ रुपये की बिक्री प्राप्त की है।

अभी तक, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 33.63 लाख किसानों को लाभ मिला है। चूंकि प्रमाणित प्राकृतिक या जैविक कृषि उत्पादों की बाजार में अधिक कीमतें होती हैं, इसलिए अलग से एमएसपी का प्रस्ताव नहीं किया गया है। बिहार में अब तक परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 31783.27 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और पीजीएस-इंडिया प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत 54449 किसानों को शामिल किया गया।

अनुबंध- I

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार जारी बजट, व्यय और लाभान्वित किसानों की संख्या।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**जारी बजट**	**व्यय**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.48	6.89	250
2	आंध्र प्रदेश	12298.655	11957.17	650163
3	अरुणाचल प्रदेश	831.44	831.43	2982
4	असम	242.18	225.74	3721
5	बिहार	1241.368	1086.75	50065
6	छत्तीसगढ	2619.059	2041.22	57590
7	दिल्ली	27.26	0.73	375
9	गोवा	43.817	5.36	1623
10	गुजरात	3640.48	2086.86	117108
11	हरियाणा	531.92	58.99	11288
12	हिमाचल प्रदेश	3602.057	3448.67	62003
13	जम्मू-कश्मीर	1380.98	1112.44	19791
14	झारखंड	249.31	215.89	11562
15	कर्नाटक	4377.96	3680.44	124332
16	केरल	558.02	438.01	16700
17	लद्दाख	37.79	26.57	621
18	मध्य प्रदेश	6323.46	4966.35	167661
19	महाराष्ट्र	7200.93	7077.74	143707
20	मणिपुर	660.12	325.56	9077
21	मेघालय	345.96	232.90	7017
22	मिजोरम	890.35	890.23	13503
23	नागालैंड	950.8545	925.16	7998
24	ओडिशा	1325.25	1125.74	60422
25	पुदुचेरी	46.86	27.81	772
26	पंजाब	269.22	148.37	5295
27	राजस्थान	6992.898	5030.87	212346
28	तमिलनाडु	388.37	381.94	6072
29	तेलंगाना	761.515	492.71	61205
30	त्रिपुरा	919.145	857.24	13643
31	उत्तर प्रदेश	7310.5775	5685.19	230733
32	उत्तराखंड	809.745	793.57	23032
	कुल	**66895.041**	**56184.56**	**2092657**
